"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 562] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2015 — अग्रहायण 26, शक 1937

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 26, 1937)

क्रमांक-11269/वि. स./विधान/2015. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 26 सन् 2015) जो गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 26 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2015

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3-क) "पंजीकृत कर्मचारी" से अभिप्रेत है कोई कर्मचारी जो धारा 9 के अंतर्गत अभिदाय करता है एवं जो धारा 9-क के अंतर्गत मण्डल द्वारा पंजीकृत है;"

नवीन धारा 9-क का अन्त:स्थापन. 3. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"**9-क. कर्मचारी का पंजीयन.-** (1) धारा 2 के खण्ड (3) में यथा परिभाषित कर्मचारी के पंजीयन हेतु, प्रत्येक नियोजक, ऐसे कर्मचारी जिनके नाम क्रमश: 30 जून तथा 31 दिसम्बर को स्थापना के रजिस्टर में दर्ज हो, का विहित प्रारूप में विवरण, मण्डल को प्रस्तुत करेगा.

(2) मण्डल, नियमानुसार तथा राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से कर्मचारियों का पंजीयन करेगा."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्र. 36 सन् 1983), श्रम विधायन का लाभकारी भाग है. राज्य में संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग पांच लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं किन्तु अधिनियम में उनके पंजीयन के संबंध में कोई प्रावधान न होने के कारण वे उक्त अधिनियम के अधीन नियमित रीति से लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हैं.

अतएव, मण्डल द्वारा कर्मचारियों के पंजीयन करने के लिए, उक्त अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 3 दिसम्बर, 2015

भईयालाल राजवाड़े

श्रम मंत्री

(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 2 एवं 9 का सुसंगत उद्धरण

* * * * * * * * * * * * * *

मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (3)

"कर्मचारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थापना में कोई कुशल, अर्द्ध-कुशल या अकुशल, शारीरिक, लिपिकीय, पर्यवेक्षिक या तकनीकी काम करने के लिए भाड़े या पारिश्रमिक पर नियोजित किया जाता है ;

किन्तु उसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है-

(क) जो मुख्यत: किसी प्रबंधकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित है ;

या

(ख) जो, पर्यवेक्षिक हैसियत में नियोजित होते हुए, एक हजार छ: सौ रुपये प्रतिमास से अधिक मजदूरी लेता है या, जो उसके पद से संलग्न कर्त्तव्यों की प्रकृति के कारण, या अपने में निहित शक्तियों के कारण, ऐसे कृत्यों का पालन करता है जो मुख्यत: प्रबंधकीय प्रकृति के हैं;

* * * * * * * * * * * * * *

मूल अधिनियम की धारा 9

अभिदाय (1) किसी स्थापन में किसी कर्मचारी के संबंध में इस अधिनियम के अधीन देय अभिदाय नियोजक द्वारा देय अभिदाय (जो इसमें इसके पश्चात् "नियोजक का अभिदाय" के नाम से निर्दिष्ट है) कर्मचारी द्वारा देय अभिदाय (जो इसमें इसके पश्चात् "कर्मचारी का अभिदाय" के नाम से निर्दिष्ट है) और राज्य सरकार द्वारा देय अभिदाय से मिल कर बनेगा, और वह मण्डल को संदत्त किया जाएगा और निधि का भाग रूप होगा.

(2) (क) यदि किसी कर्मचारी का नाम किसी स्थापन के रजिस्टर में क्रमश: 30 जून और 31 दिसम्बर को दर्ज रहता है, तो ऐसे प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रत्येक छह मास में देय अभिदाय की रकम केवल (पंद्रह रुपये) होगी और प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के लिये नियोजक द्वारा प्रत्येक छह मास में देय अभिदाय की रकम (पैंतालीस रुपये) होगी.

(ख) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाय अर्थात्,

परन्तु प्रत्येक छह मास में देय नियोजक का अभिदाय एक सौ पचास रुपये से कम नहीं होगा.

"(3) प्रत्येक नियोजक, उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए नियोजक का अभिदाय और कर्मचारियों का अभिदाय ऐसे दोनों का ही संदाय मण्डल को प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई और 15 जनवरी के पूर्व करेगा."

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियोजक को यह हक होगा कि वह कर्मचारी से कर्मचारी का अभिदाय उसकी मजदूरी में से काट कर वसूल करें, किन्तु उसे उसकी वसूली किसी अन्य रीति से करने का हक नहीं होगा; और ऐसी कटौती मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का सं. 4) द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत कटौती समझी जाएगी.

परन्तु कोई भी ऐसी कटौती, अभिदाय की उस रकम से अधिक नहीं की जाएगी जो ऐसे कर्मचारी द्वारा देय हो, और न ही वह जून और दिसम्बर मास की मजदूरी से भिन्न किसी मजदूरी में से की जाएगी.

परन्तु यह और भी कि यदि अनवधानता के कारण या किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, जो अभिलिखित की जाएगी, किसी कर्मचारी की पूर्वोक्त मासों की मजदूरी में से कोई कटौती नहीं की गई हो तो ऐसी कटौती निरीक्षक को लिखित संसूचना देने के पश्चात् ऐसे कर्मचारी की किसी पश्चात्वर्ती मास या मासों की मजदूरी में से की जा सकेगी.

(5) किसी तत्प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, कोई नियोजक, नियोजक के अभिदाय की कटौती किसी कर्मचारी को देय किसी मजदूरी में से नहीं करेगा या उसे कर्मचारी के अन्यथा वसूल नहीं करेगा.

(6) किसी कर्मचारी की मजदूरी में से किसी नियोजक द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक् रूप से काटी कई किसी राशि के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह राशि उस अभिदाय का, जिसके संबंध में वह काटी गई थी, संदाय करने के प्रयोजनार्थ कर्मचारी द्वारा नियोजक को न्यस्त कर दी गई है.

(7) नियोजक, नियोजक और कर्मचारी के अभिदायों का संदाय मण्डल को चेक, बैंक ड्रा फ्ट या मनीआर्डर द्वारा या नकद में करेगा, और ऐसे अभिदाय मण्डल को भेजने के व्यय वह स्वयं वहन करेगा.

(8) कल्याण आयुक्त, प्रति वर्ष जुलाई और जनवरी मास की समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विहित प्ररूप में एक विवरण राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसमें नियोजक के स्थापन के संबंध में नियोजक के अभिदाय की कुल रकम दर्शाई जायेगी. कल्याण आयुक्त से ऐसा विवरण प्राप्त होने पर, राज्य सरकार उस स्थापन के संबंध में नियोजक के अभिदाय के बराबर की रकम के अभिदाय का संदाय मण्डल को करेगी.

(9) उपर्युक्त उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा, कर्मचारी तथा नियोजक द्वारा देय अभिदाय की दर को पुनरीक्षित कर सकेगी."

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.